

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

.....

NEW DELHI, THE 5th Aug, 1977

NOTIFICATION
(INCOME TAX)

S.O.No. In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies " Naninagar Shree Swaminarayan Sadl Sansthan Shreeji Sankalp Murti Adya Acharya Pravara Dharmadharanchar 1000 Shree Muktajeevan Swamibapa Swarna Jayanti Mahotsava Sankar Trust, Naninagar, Ahmedabad " for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1973-74 to 1975-76 subject to the following conditions, namely:-

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.


(N. K. CHOUDHARY)

UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA.

Notification No. 10387

(F.No.197/84/97-ITA-1)

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3 ||ii|| में प्रकाशनाय

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
[राजस्व विभाग]

नई दिल्ली, दिनांक १५-४-७७

अधिसूचना

[आयकर]

- का०आ०सं० आयकर अधिनियम, १९६१ [१९६१ का ४३] की धारा १० के खण्ड [2अ] के उप खंड [IV] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार सतद्वारा "मणिनगर श्री स्वामीनारायण गादी संस्थान श्री-जी संकल्प मूर्ति आद्य आचार्य प्रचार धर्माधुरंधर १००० श्री मुक्ताजीवन स्वामीबापा स्वर्ण जयंती महोत्सव स्मारक ट्रस्ट, मणिनगर, अहमदाबाद" को कर निर्धारण वर्ष १९७३-७४ से १९७५-७६ तक के लिए निम्न-लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:-
- ii कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संघनन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है,
 - iii कर-निर्धारिती ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा ११ की उपधारा [5] में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक दंग अथवा तरीकों से निम्न तरीकों से इसकी निधि [ज्वेलर-जवाहरात, फर्निचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वीच्छक अंशदान से निम्न] का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा,
 - iiii यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[हस्ताक्षर]
[सचिव के० चौधरी]

अवर सचिव, भारत सरकार

अधिसूचना सं० १०३८)
सेवा में,

का०सं० १९७/१७७-आयकर नि०-११

प्रबंधक, भारत सरकार प्रेस,
रिम रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
[राजौरी गार्डन के समीप], नई दिल्ली.